



पत्रांक सं०: 2694 / 12-1

दिनांक 07/04/2025 ।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4875 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online proposal No. FP/UK/ROAD/17623/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२०१/२०१६/एफ०सी० दिनांक 11.01.2024 एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1523/ 12-1, दिनांक 31.01.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि का आगणन कर संशोधित एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२०१/२०१६/एफ०सी०/531 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है परन्तु प्रस्ताव में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1257/PO दिनांक 03-06-2022 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1657/1-41(IV) दिनांक 07-01-2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन प्रकरणों में Stage-I Approval जारी की जा चुकी है किन्तु 05 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी वर्तमान तक Stage-II Approval जारी नहीं हुई है, ऐसे प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण से नई दरों पर एन०पी०वी० धनराशि जमा करवाने हेतु लिखा गया है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2019 में प्राप्त हुई है, प्रस्ताव को 05 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप संशोधित नई दरों से निर्धारित अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि जमा की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे० में)	Stage-I तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० धनराशि का विवरण (रु० में)			वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन०पी०वी० धनराशि का आंकलन (रु० में)			जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि
			औसत	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
V	1.4875	04-06-2019	0.40	8,45,000.00	12,56,938.00	0.40	12,92,850.00	19,23,115.00	6,66,177.00

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि रु० मु० 6,66,177.00 कैम्पा कोष में जमा करवाते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को परिवेश पोर्टल एवं हार्ड प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

2-वन संरक्षक, भागरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।